रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10092020-221642
CG-DL-W-10092020-221642

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अगस्त 23—अगस्त 29, 2020, शनिवार /भाद्र 1 —भाद्र 7, 1942
No. 26] NEW DELHI, AUGUST 23—AUGUST 29, 2020, SATURDAY/BHADRA 1— BHADRA 7, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक गठन.—**इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन), सहायक अनुभाग अधिकारी के पदधारकों को नियमित आधार पर धारित करने वाले अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित अनुरूप पद पर नियुक्त माना जाएगा और उक्त नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उक्त पद पर उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवाओं को उनके परिवीक्षा की अवधि, ज्येष्ठता को तय करने तथाप्रोन्नति, पुष्टि औरपेंशन के लिए अहर्क सेवा को विनिश्चायक करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या,उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13)में विर्निदिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं,

तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)	03 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, रु. 47600-151100

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति-** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7, रु. 44900-142400 में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिसनेउस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार/ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) की प्रोन्नति के लिए आयोजित केन्द्रीय सचिवालय सेवा स्तर 'बी' पाठ्यक्रम के लिए पांच सप्ताहों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण.** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो: (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मैट्रिक्स के स्तर 7, रु. 44900-142400 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 02 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ii) कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड जेनरेशन आदि की प्रवीणता के साथ सामान्य प्रशासन/भंडार/सरकारी खरीद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : (1). संयुक्त निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2). उप निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार,गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य – सदस्य।	पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक अनुभाग अधिकारी	08*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवासमूह 'ख' अराजपत्रित,अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, रु. 44900-142400 .

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति:--

वेतन मैट्रिक्स स्तर 6, रु. 35400-112400 में ऐसे सहायक, जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार/ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी की प्रोन्नति के लिए आयोजित केन्द्रीय सचिवालय सेवा स्तर 'ए' पाठ्यक्रम हेतु चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो:

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;

या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, रु. 35400-112400 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो;

और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

(ii) कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड जनरेशन आदि की प्रवीणता के साथ सामान्य प्रशासन/भंडार/सरकारी खरीद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	**(13)**
समूह'ख'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- (1). संयुक्त निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2). उप निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य – सदस्य।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख और ग)/2017-प्र.II /पुआ. II]

चंदन कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 20th August, 2020

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method recruitment to the post of Joint Assistant Director (Administration) and Assistant Section Officer in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless Joint Assistant Director (Administration) and Assistant Section Officer Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial constitution .—The incumbents holding the post of Joint Assistant Director (Administration), Assistant Section Officer in the Directorate of Coordination Police Wireless on regular basis on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding post mentioned in the Schedule and the services rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and qualifying service for promotion, confirmation and pension.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix .**—The number of the said post(s), their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person**.—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Assistant Director (Administration)	03* (**2020**) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Level 8 in the pay matrix Rs.47600-151100.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:-

Assistant Section Officer in Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400 with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed five weeks training programme of Joint Assistant Director (Administration) Promotional Course conducted by Directorate of Coordination Police Wireless /The Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi Central Secretariat Services Level B course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully complete probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

Deputation:- Officials of the Central Government or State Government or Union territories.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with **02** years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department;

AND

(b) possessing the following qualifications and experience:

(i) Bachelor Degree in science with Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subject from a recognised University or Institute.

(ii) Three years experience of general administration/Store/Procurement with computer proficiency in word processing, spread sheet, slide generation etc.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group `B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, , Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation is necessary for filling up the post by deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Section Officer	08*(2020) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

(11)

Promotion:-

Assistant in the Level-6 Rs. 35400-112400 in the pay matrix with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed four weeks training programme of Assistant Section Officer Promotional Course conducted by Directorate of Coordination Police Wireless/ The Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi Central Secretariat Services Level A course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officials of the Central Government or State Government or Union territories:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department;

AND

(b) possessing the following qualifications and experience:

(i) Bachelor Degree in Science in Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subject from a recognised University or Institute.

(ii) two years experience of General Administration /Store/Procurement with computer proficiency in word processing, spread sheet, slide generation etc.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

12	13
Group `B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[No.A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]
CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,और वर्ग III [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)]भर्ती नियम, 1962 तथा समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग I और वर्ग II पद भर्ती नियम, 1966, जहाँ तक उनका संबंध तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक (भंडार)और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भंडार) पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सहायक, भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.**पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं ।

3.**भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13)में विर्निदिष्ट हैं।

4.**निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाहऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि केअधीन अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम केप्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक एंव समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक	21* **(2020)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, रु.35400-112400

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक अर्हताएं:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। **वांछनीय अर्हताएं:-** प्रशासन या संस्थापन कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.** अनुभव संबंधी अहर्ता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति-**भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन:- केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, रु. 29,200-92,300 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद छह वर्ष की सेवा की हो;
और
(ख) स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं रखते हों।
वांछनीय:-
(i) प्रशासन या स्थापनकार्य में दो वर्ष का अनुभव।
टिप्पण: केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति:- (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र.II /पीएम.II]

चंदन कुमार,अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2020

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Class III Posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 and Directorate of Coordination (Police Wireless) Recruitment to Class I and Class II Posts Recruitment Rules, 1966, in so far as they relate to the post of Technical Assistant, Technical Assistant (Store) and Senior Technical Assistant (Store) except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules relating to recruitment to the method of recruitment to the post of Assistant in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless, Assistant, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person, ¯

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant	21* (**2020**) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400

Whether Selection or Non -Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	30 years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission	**Essential qualification:-** Bachelor Degree in Science with Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subjects from a recognised University or Institute. **Desirable qualification :** Two years experience in administration or establishment work. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for the reason recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reason recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years for direct recruit. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	75% by direct recruitment. 25% by deputation/ absorption

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(11)
Deputation /absorption:- Officers of Central /State Government/Union territories. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level 5 in the pay matrix Rs.29,200-92,300 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under column-(7). **Desirable:-** (i) Two years experience in administration or establishment work. Note: Only officers of Central Government/State Government/Union territories shall be eligible to be considered for appointment on absorption basis. **Note** 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group `B' Departmental Confirmation Committee:- (for considering confirmation consisting of) (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[No.A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) स्टाफ कार ड्राईवर और सवार हरकारा/स्कूटर ड्राईवर भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I, श्रेणी-II और सामान्य श्रेणी) और सवार हरकारा या स्कूटर चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I, श्रेणी-II और सामान्य श्रेणी) और सवार हरकारा या स्कूटर चालक पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.—**ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी – I)	10* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर – 5, (29,200-92,300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(10)
प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: राजस्व विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी–II) जिन्होंने इस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित सेवा की है और जिन्होंने निम्नलिखित विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की है:- (i) जो अंग्रेज़ी अंकों और आकृतियों को पढ़ने में समर्थ हो; (ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो; (iii) जो पेट्रोल और डीजल इंजिन के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो; और (iv) जो कार्ब्यूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करने में समर्थ हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशा.1ख) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशा.1) - सदस्य 3. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन - राजस्व) - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	9* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 4 (25,500-81,100 रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:-** राजस्व विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -2 (19,900-63,200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की है :- (i) जो अंग्रेज़ी अंकों और आकृतियों को पढ़ने में समर्थ हो; (ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो; (iii) जो छोटी त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने में समर्थ हो; और

	(iv) जो गाड़ी के टायर बदलने में सक्षम हो और टायरों में सही हवा भर सकता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशा.1ख) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशा.1) - सदस्य; 3. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन - राजस्व) - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	9* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 2 (19,900-63,200/- रु.)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघायल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। *यदि भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

(7)
आवश्यक: (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में लघु त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हो); (iii) मोटर कार चालन का तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण । **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वंय सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुन: नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीघी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए; प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा:- राजस्व विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और समूह ग कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए उनकी सक्षमता के निर्धारण का चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हैं जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) में नियमित आधार पर ऐसे सवार हरकारा या ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हैं। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनो पर रखा जाएगा जब वे सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किए जाने वाले हैं तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशा.1ख) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशा.1) - सदस्य 3. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन - राजस्व) - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सवार हरकारा या स्कूटर चालक	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर–2 (19,900-63,200/- रु.)	लागू नहीं होता

(6)
पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघायल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । *यदि भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18-21 वर्ष होगी। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शॉ विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति। (ii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव । (iv) मोटर साइकिल और ऑटो रिक्शा क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में लघु त्रुटियां दूर करने में सक्षम हो) । (v) हिन्दी और अंग्रेज़ी या उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा जिसमें संबंद्ध संगठन अवस्थित है, पढ़ने की योग्यता। **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वंय सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीघी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति या पुन:नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति /आमेलन: - राजस्व विभाग में समूह ग कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से नियमित सवार हरकारा या समूह ग कर्मचारियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हैं। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन: -** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति निबंधन पर रखी जाएगी जब वे सशस्त्र बलों से निर्मुक्त जाने वाले हैं तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशा.1ख) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशा.1) - सदस्य 3. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन - राजस्व) - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. ए-12018/06/2019-प्रशा.1ख]

राघवेन्द्र सिंह कुशवाह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Staff Car Drivers and Despatch Riders/Scooter Drivers Recruitment Rules, 1994, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade-I, Grade-II

and Ordinary Grade) and Despatch Riders or Scooter Drivers in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely: -

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Staff Car Drivers (Grade-I, Grade-II and Ordinary Grade) and Despatch Riders or Scooter Drivers Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, their classification and level in pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. .—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
1. Staff Car Driver (Grade-I)	10* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial

Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level – 5 (Rs. 29,200-92,300)	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: - Staff Car Driver (Grade – II) in the Department of Revenue in level-4 in pay matrix (Rs.25,500-81,100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test specified below: - (i) Must be able to read English numerals and figures; (ii) Must have a thorough knowledge of Traffic regulations; (iii) Must have good knowledge of petrol and Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; and (iv) Must be able to clear carburetor, plug etc. **Note: -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Department Promotional Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Under Secretary (Admin.1B) - Chairman; 2. Under Secretary (Admin.1) - Member; 3. Under Secretary (General Admin-Revenue) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	9* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)	(6)	(7)
Level – 4 (Rs. 25,500-81,100)	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Department of Revenue in level-2 in pay matrix (Rs.19,900-63,200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test specified below: - (i) Must be able to read English numerals and figures; (ii) Must have good knowledge of Traffic Regulations; (iii) Must be able to locate faults and carry out minor running faults; and (iv) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Note: -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Department Promotional Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Under Secretary (Admin.1B) - Chairman; 2. Under Secretary (Admin.1) - Member; 3. Under Secretary (General Admin-Revenue) - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	9* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)
Level – 2 (Rs. 19,900-63,200)	Not applicable

(6)
18-25 year* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. *If the 'recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination, the age limit would be 18-27 years.

(7)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years.; and (iv) passed 10th standard from a recognised Board. **Desirable:** 3 years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note:** - The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in pay matrix (Rs.18,000-56,900) in the Department of Revenue, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 in pay matrix (Rs.18,000-56,900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed forces personnel**: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Under Secretary (Admin.1B) - Chairman; 2. Under Secretary (Admin.1) - Member; 3. Under Secretary (General Admin-Revenue) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
4. Despatch Riders or Scooter Drivers	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)
Level – 2 (Rs. 19,900-63,200)	Not applicable

(6)
Not exceeding twenty-five years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment is to be made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)
Essential: (i) passed the 10th standard from recognised Board. (ii) possession of valid driving license for motor cycle or auto rickshaw. (iii) two years' experience in driving motor cycle or auto rickshaw. (iv) knowledge of motor cycle and auto rickshaw mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle). (v) ability to read English and Hindi or Regional language of the area in which the concerned organisation is situated. **Desirable:** three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen: - Deputation or re-employment.

(11)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in the Department of Revenue failing which from regular Despatch Rider or Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in column (7). **For Ex-Servicemen:** Deputation or re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits in column (7) shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment: **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Under Secretary (Admin.1B) - Chairman; 2. Under Secretary (Admin.1) - Member; 3. Under Secretary (General Admin-Revenue) - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/06/2019-Ad.1B]

RAGHVENDRA SINGH KUSHWAH, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, पुस्तकालय कर्मचारी (समूह 'ग' और 'घ'), भर्ती नियम 1994 को, जहां तक पुस्तकालय लिपिक और पुस्तकालय सूचना सहायक के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक और पुस्तकालय सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, पुस्तकालय कर्मचारी (समूह "ख" और "ग" पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय लिपिक	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित – अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200/- रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच 40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं ।) **टिप्पण 2:** यदि नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी हैं तो आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
7	8	9	10
आवश्यक: (i) 10+2 अथवा समतुल्य अर्हता। **वांछनीय :-** (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए

			बाहर रहने के कारण रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है; (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; अथवा (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निहित अर्हताएं रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं	**समूह "ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेंगे)-** 1. अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (वरिष्ठतम) वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय अध्यक्ष; 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक (वरिष्ठतम) वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय सदस्य; 4. संबंधित स्कीम के अधिकारी सदस्य।	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय सूचना सहायक	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित – अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

7	8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य; (ii) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।			

11	12	13
प्रोन्नति: वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय और इसके उप-कार्यालयों में कार्य कर रहे पुस्तकालय लिपिक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/- रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें जो कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टरों के उपक्रम/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-93300/- रुपए) में श्रेणी में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	**समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति अथवा पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी:—** 1. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार — अध्यक्ष 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय — सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (वरिष्ठतम) वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय — सदस्य 4. अवर सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग — सदस्य	लागू नहीं

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[मिसिल सं.- 12018/3/2018-पीपी स्था.]

आर राजीव, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 7th August, 2020

G.S.R. 117.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Library Staff, (Group C and D) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Library Clerk and Library Information Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Library Clerk and Library Information Assistant in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Library Staff (Group 'B' and Group 'C') Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded the writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard:

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Clerk	2* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group – 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 (Rs. 19900 – 63200)	Not applicable	Between 18 to 27 years age. Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** In case the appointments are made through Employment Exchanges, the crucial date for the determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 10+2 or equivalent qualification. **Desirable:** (i) Certificate of Library Science from a recognized Institution or University.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a) holding analogous posts on

			regular basis; or (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering for considering confirmation) consisting of):-** 1. Additional Plant Protection Adviser (Senior Most), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Chairman ; 2. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Member; 3. Joint Director (Senior Most), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Member; 4. Concerned Scheme Officer - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Library Information Assistant	2* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Selection post	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Essential</u>: (i) Bachelor's degree in Library Science or Library Information Science from a recognised institute or University or equivalent; (ii) two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organization or Public Sector undertaking or University or recognized research or educational institution. **<u>Desirable:</u>** Diploma in Computer Application from a recognized University or institute.	Not applicable	Two years for direct recruits	50% by direct recruitment and 50% by promotion failing which by deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion : Library Clerk(s) working in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, and its sub-offices in level 2 (Rs 19900-63200) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and possessing Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertaking or autonomous or statutory organizations- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note-1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or for considering confirmation) consisting of :-** 1. Plant Protection Adviser to the Government of India - Chairman; 2. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage -Member; 3. Joint Director (Senior Most), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage -Member; and 4. Under Secretary (Plant Protection), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member.	Not applicable

other organization or department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note-3**: The maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 12018/3/2018-PP Estt]
R. RAJEEV, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

सा. का. नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) भर्ती नियम, 1968 को जहॉ तक उनका संबंध सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) समूह 'क'पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछडे वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	6* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति :

(i) उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) में उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

(ii) कारखाना प्रबंधक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु.) में उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित दो स्पताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा संबंध ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : -

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो;या

(ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो ;

(ख) और जो निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो ।

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव-रसायन या सूक्ष्मजीव विज्ञान या औषधीय रसायन में एम.एस सी की डिग्री ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्थान से चिकित्सा और जन स्वास्थ्य समस्याओं और मानव प्रयोग के लिए जैविक उत्पादों के निर्माण में सात वर्ष का अनुसंधान और शिक्षण अनुभव ।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव – रसायन या सूक्ष्मजीव विज्ञान या औषधीय रसायन में डाक्टरेट ।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए. 12018/09/2014- ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th August, 2020

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Assistant Director (Non-Medical) Recruitment Rules, 1968, in so far it relates to the post of Assistant Director (Non-Medical) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Non-Medical) in the Central Research Institute, Kasauli under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Assistant Director (Non-Medical) Group 'A' post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of said post, its classification level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Non-Medical)	6* (2020) * Subject to variation dependant on workload	General Central Civil Service, Group A, Gazetted, Non-ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Deputy Assistant Director (Non-Medical) in the level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed by the department. (ii) Factory Manager in the level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed by the department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Joint Secretary Department of Health and Family Welfare – Chairman; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Directorate General of Health Services - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services. – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making deputation (including short term contract).

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation (Including Short Term Contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or statutory bodies or public sector undertakings or Universities or recognized research institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; (b) and possessing the following qualifications: **Essential:** (i)M.Sc. Degree in Bio-Chemistry or Micro Biology or Pharmaceutical Chemistry from a recognised University or institute. (ii)seven years research and teaching experience in the medical and public health problems and manufacture of Biological products for human use from Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory body or Public Sector Undertaking or University or recognised research institute. **Desirable:** Doctorate in Bio-Chemistry or Microbiology or Pharmaceutical Chemistry from a recognised University or institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the		

direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No.A.12018/09/2014-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secy.

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2020

सा. का. नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय [सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2020 है।

   (ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद **की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें, वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)	51* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर- 11 (67,700-20,8700 रु.) /-	चयन	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष होता	100% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: i. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 - 1,51,100 रु.) में ऐसे औषधि निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। ii. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 – 1,51,100 रु.) में ऐसे तकनीकी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित संबंद्ध क्षेत्र में दोनों ने दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **टिप्पण:-** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंध ग्रेड अथवा पद	**प्रोन्नति:** 1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/ सयुंक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय, -सदस्य 3. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन तथा सर्तकता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्क व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	3. निदेशक (प्रशासन तथा सर्तकता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	

[फा सं. ए.12018/2/2017-डीआरएस]

राम गोपाल सिंह, अवर सचिव

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 25th August, 2020

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Health Services [Assistant Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2011 in so far as they relate to the post of the Assistant Drugs Controller (India), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(a) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation [Assistant Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2020.-

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Drugs Controller (India)	51* (Fifty-one) (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non Ministerial)	Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700)	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two years	100% by Promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion (i) Drugs Inspector in level 8 (Rs. 47,600 - 1,51,100) of Pay Matrix with six years regular service in the grade; (ii) Technical Officers in level 8 (Rs. 47,600 - 1,51,100) of pay matrix with six years regular service in the grade; and both having successfully completed two to four weeks training in the respective field as prescribed by the Department. **Note:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have	**Promotion** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare -Member 3. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services-(Member) 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member **Departmental Confirmation committee** 1. Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare -Chairman 2. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services -Member 3. Director (Administration and Vigilance, Directorate General of Health Services -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F.N.A.12018/2/2017-DRS]

RAM GOPAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 120 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन [संयुक्त ओषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त ओषधि नियंत्रक (भारत) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संयुक्त ओषधि नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन [संयुक्त ओषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2020 है।

(ग) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त ओषधि नियत्रंक (भारत)	03 * [(तीन) 2020] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ' क ', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर- 13 (1,23,100-2,15,900 रु.) /-	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (78,800 - 2,09,200 रु.) में ऐसे उप ओषधि नियंत्रक उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्क व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।	**प्रोन्नति:** 1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- (अध्यक्ष) 2. सचिव/ सयुंक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय- (सदस्य) 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/ स्वास्थ्य सेवा विशेष महानिदेशक – (सदस्य)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा सं. ए.12018/2/2017-डीआरएस]

राम गोपाल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2020

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Joint Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2011 in so far as they relate to the post of the Joint Drugs Controller (India), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (a) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation [Joint Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2020.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.—**The number of said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Drugs Controller (India)	3* (Three) (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non Ministerial)	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion Deputy Drugs Controller (India) in Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Promotion** 1.Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Secretary / Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare -Member 3. Director General Health Services/Special Director General Health Services -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.N.A.12018/2/2017-DRS]

RAM GOPAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अगस्त,2020

सा. का. नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [उप औषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 1990 को जहां तक उनका संबंध उप औषधि नियंत्रक (भारत) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप औषधि नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [उप औषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2020 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद **की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स** में **वेतन स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप औषधि नियत्रंक (भारत)	26*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ' क ', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर- 12 (78,800-2,09,200 रु.) /-	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700 - 2,08,700 रु.) में ऐसे सहायक औषधि नियंत्रक, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित संबंद्ध क्षेत्र में 2 -4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ।	**प्रोन्नति** 1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/ सयुंक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय -सदस्य 3. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन तथा सर्तकता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय –सदस्य	प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी है) पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्क व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हों- (i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी अथवा फार्मास्यूटिकल्स साइंस अथवा मेडिसिन में स्नातक डिग्री सहित क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अथवा माइक्रोबायोलोजी में विशेषज्ञता के साथ; औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और इसके अधीन बनाये गए नियमों से संबंधित मामलों के निपटारे का 12 वर्ष का अनुभव अथवा औषधि मानकीकरण या औषधि मानक नियंत्रण या औषधि विनिर्माण या औषधि परीक्षण के क्षेत्र में 11 वर्ष का अनुभव। **अथवा**		

(ii) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी अथवा फार्मास्यूटिकल्स साइंस अथवा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री; सहित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23)और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित मामलों के निपटारे का 10 वर्ष का अनुभव अथवा औषधि मानकीकरण या औषधि मानक नियंत्रण या औषधि विनिर्माण या औषधि परीक्षण के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे I इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा सं. ए.12018/2/2017-डीआरएस]

राम गोपाल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th August, 2020

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Deputy Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 1990 in so far as they relate to the post of the Deputy Drugs Controller (India), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare , namely:

1. **Short title and commencement.—** (a) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation [Deputy Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2020.

   (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.—**The number of said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Drugs Controller (India)	26* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted (Non-Ministerial)	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200)	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Promotion failing which Deputation including Short Term Contract

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion Assistant Drugs Controller (India) in level 11 (Rs. 67,700- 2,08,700) of the pay matrix with five years regular service in the grade; and having successfully completed 2-4 weeks training in the respective field as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have	**Promotion** 1.Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare -Member 3. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services -Member 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate	Consultation with UPSC is necessary for filling up the post on deputation (ISTC) basis.

completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Recognised Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level 11 (Rs. 67,700- 2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following Educational Qualification and Experience: (i) Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a university established in India by Law; with 12 years experience in dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules thereunder or 11 years experience in dealing with drugs standardization or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs. Or (ii) Post Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by Law; with 10 years experience in	General of Health Services -Member	

dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules thereunder or 9 years experience in dealing with drugs standardization or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. (Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		

[F.N.A.12018/2/2017-DRS]

RAM GOPAL SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती व नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुसंधान अधिकारी	29* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद	35 वर्ष की आयु। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण**:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक तकनीक में मास्टर डिग्री और भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान बैचलर डिग्री स्तर पर सभी वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। (ii) भूगोल और मानचित्रकारी शिक्षण या अनुसंधान में जिसके विभिन्न विषय वस्तु पर आंकड़ा संग्रहण और मानचित्रण तैयार करने का भी अंतर्वलित पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** उपर्युक्त अर्हता न रखने वाले परंतु अन्यथा सुयोग्य अभ्यार्थियों के पाए जाने पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूसूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक तकनीक में डाक्टरेट।	(i) आयु : नहीं; (ii) शैक्षिक अर्हता : नहीं; (इस अनुसूची के स्तंभ (11) में यथाउपदर्शित विस्तार तक)।	सीधे भर्ती किए जाने वाले साथ ही साथ प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त् भूविज्ञान या भूसूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक तकनीक में मास्टर डिग्री हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भूस्थानिक तकनीक में दो सप्ताह का अग्रिम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहॉं ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां अनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में (53100-167800 रु.) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य 3. संबद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 4. निदेशक या संबद्ध उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष 2. संबद्ध संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 3. निदेशक या संबद्ध उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एस एम/01/12/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 19th August, 2020

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Officer) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other Special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post/non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	29* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level- 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Selection post	35 years of age. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications: (i) Masters Degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having studied Geography or Geology or Applied Geology as a subject in all the years at bachelors degree level. (ii)Five years experience in Geographical and Cartographical teaching or research involving collection of data and preparation of maps on various themes. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Doctorate in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute.	(i) Age: No; (ii) Educational Qualification: No; (To the extent as indicated in column (11) of this Schedule).	One year for direct recruits as well as promotees.	67 percent by direct recruitment and 33 percent by promotion failing which by deputation (Including short term contract).

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Scientific officer in Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years of regular service in the grade and having masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having successfully completed two weeks of advance training in geospatial technology from any recognized institution. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): officers of Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous or statutory organizations or public sector undertakings or recognized Universities or research institutions: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in level-8 in the Pay Matrix (Rs.47600-151100) or level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission -Chairman (2) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member (3) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (4) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member **Group 'A' Departmental Promotion Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Chairman (2) Joint Secretary concerned, Department of Science & Technology - Member (3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science & Technology - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F.No.SM/01/12/2017]
ANITA DHADRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा. का. नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1989 (ii) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, वरिष्ठ भौगोलिक सहायक और कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1999, जहाँ तक कि वे वरिष्ठ भौगोलिक सहायक के पद से संबंधित हैं और (iii) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुसंधान सहायक	200* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.)	चयन पद	30 वर्ष की आयु (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। **टिप्पण 2:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री स्तर पर सभी वर्षों में भूगोल या भू-विज्ञान या व्यवहारिक भू-विज्ञान में एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। (2) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षण या वैज्ञानिक या मानचित्रकला या भौगोलिक संस्थान या संगठन से मानचित्रों और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान या तैयारी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** उपर्युक्त अर्हता न रखने वाले परन्तु अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के पाए जाने पर, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जबचयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले	आयु- नहीं शैक्षिक अर्हता- नहीं	दो वर्ष।	(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या कंप्यूटर मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में ऐसे कनिष्ठ भौगोलिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलापूर्वक पूरा किया हो प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में (29200-92300रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्तिद्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलसऔर थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी	31* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार **किया** जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; उप-निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/07/2018]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 2020

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Assistant) Recruitment Rules, 1989 (ii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Senior Geographical Assistant and Junior Geographical Assistant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Senior Geographical Assistant and (iii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Scientific Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant and Scientific Officer, in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Assistant and Scientific Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Research Assistant	200* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group- 'B'	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Selection post	30 years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. **Note 2 :** The crucial

					date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Masters degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute and having studied Geography or Geology or Applied Geology as a subject in all the years at bachelor's degree level. (2) At least one year experience in research or preparation of maps and geospatial technologies in a Government recognised research or teaching or scientific or cartographic or geographic institute or organisation. **Note1**: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, is of the opinion	Age :No Educational Qualification :No.	Two years.	(i) 80 percent by direct recruitment. (ii) 20 percent by promotion failing which by deputation (including short term contract).

that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable:** Certificate or diploma in Computer Mapping and Geographical Information System from a recognised University or institute or at least one year experience in Computer Mapping and Geographical Information System.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Geographical Assistant in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training in Geospatial Technology from Government recognised institute. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1**: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2**: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. **Note3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member; 3.Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 4.Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member; 3.Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 4.Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. **Note4**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Officer	31* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Group-'B', Gazetted	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and possessing Masters Degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology -Member; 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member; 4.Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.SM/02/07/2018]

ANITA DHADRA, Under Secy.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मौसम विज्ञान विभाग (प्रशासनिक संवर्ग समूह'ख') भर्ती नियमावली,2000, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले के मामलों को छोड़कर अथवा छोड़ने पर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ,पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-। के पद की भर्ती की पद्धति में निम्नलिखित नियमों को विनियमित करते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम** और **लागू होने की तारीख .—**

(1) इन नियमों को भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क'पद), भर्ती नियमावली कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, स्तर.—**

पदों की संख्या, इनके वर्गीकरण और स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में बताए गए अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा** और **अन्य अर्हताएं आदि.—**

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे सम्बंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में बताए गए अनुसार होंगे ।

4. **अनर्हता :- कोई भी ऐसा व्यक्ति .—**

(क) जिसने, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या करने वाला है जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या करने वाला है ।

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा :

बशर्ते कि केंद्र सरकार इस नियम में किसी को छूट दे सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति ने जिससे विवाह किया है उसकी उन दोनों के वैयक्तिक कानून के अनुसार अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हों ।

5. **छूट देने का अधिकार.—**

जिन मामलों में केंद्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या व्यावहारिक हो तो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से और ऐसा करने से संबंधित कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रावधान से छूट दी जा सकती है ।

6. **सेविंग.—**

इन नियमों का कोई भी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और व्यक्तियों की अन्य विशिष्ट श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या यह चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I	4* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्र सरकार सेवा, समूह 'क' राजपत्रित,अनुसचिवीय	स्तर-11 (रु. 67,700-2,08,700)	चयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत कार्मिक के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा किन श्रेणियों से प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के पद में छह वर्षों की नियमित सेवा स्तर-8 (रु. 47,600-151,100) अथवा पाँच वर्षों की नियमित सेवा स्तर-9 (रु. 53,100 - 1,67,800)और प्रशासन,स्थापना और लेखा के कार्यक्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतपूर्वक पूरा किया हो। **नोट: 1** जब पदोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों के मामलों पर विचार किया जा रहा होता है। जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा अवधि पूरी कर ली है तो उनसे वरिष्ठ कार्मिकों के मामले पर भी विचार किया जा सकता है।यदि उनकी अर्हक पात्रता सेवा अवधि वांछनीय अर्हक पात्रता सेवा अवधि के आधे से अथवा दो वर्ष इनमें जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने उन कनिष्ठ कार्मिकों के साथ अगले उन कनिष्ठ कार्मिकों के साथ अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता-पूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने पहले से ही अर्हक अथवा पात्रता सेवा अवधि पूरी	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)** 1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. मौसम विज्ञान के महानिदेशक -सदस्य 3. संयुक्त सचिव(प्रशा), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय -सदस्य 4. भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक 'जी' अथवा 'एफ' अथवा 'ई' अथवा समकक्ष अधिकारी -सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति** 1. मौसम विज्ञान के महानिदेशक - सदस्य 2. संयुक्त सचिव(प्रश.)पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - सदस्य 3. भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक 'जी' अथवा 'एफ' अथवा 'ई'अथवा समकक्ष अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

कर ली है। **नोट: 2** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा आकलित करने के लिए 01 जनवरी 2006 से पहले कार्मिक द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा अथवा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना की तारीख बढ़ा दी गई हो तो उसी वेतन पर अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर बढ़ाए गए वेतनमान पर उनकी सेवा मानी जाएगी।		

[फा. सं. ए- 12046/ई(I)/ आर आर/प्र.अ-I]

वाई.के.रेड्डी, उपमहानिदेशक (प्रशासन) भारत मौसम विज्ञान विभाग

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi, the 17th August, 2020

G. S. R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the India Meteorological Department(Administrative Cadres Group'A') Recruitment Rules ,2000,except as respects things done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Administrative Office Grade-I posts in the office of the India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Administrative Cadres Group 'A') Recruitment Rules.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level of pay in Pay matrix.—**The number of posts, their classification and the level of pay in Pay matrix attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. .—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.—**No person . –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party the marriage and there are other grounds for so doing, except any person from the operation of this rule:

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings** .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer Grade-I	4* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial	Level- 11of the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Administrative Officer Grade-II in Level-8 (Rs. 47,600-151,100) of the Pay Matrix with six years regular service in the Grade or Level-9(Rs. 53,100-1,67,800) of the Pay Matrix with five years regular service in the Grade and have successfully completed training of at least two weeks in the field of administration, establishment and accounts. **Note1.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 .-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service	**Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion** :- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Director General of Meteorology -Member 3. Joint Secretary (Admin), Ministry of Earth Sciences – Member 4. Scientist 'G' or 'F' or 'E' or equivalent officer of the India Meteorological Department – Member Group 'A' Departmental conformation Committee: 1. Director General of Meteorology - Chairman 2. Joint Secretary (Admin), Ministry of Earth Sciences – Member 3. Scientist 'G' or 'F' or 'E' or equivalent officer of the India Meteorological Department – Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 / the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.		

[F. No.A-12046/E(I)/RR/A.O-I]
Y.K. REDDY, Dy. Director General (Administration) India Meteorological Department

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.09.10 16:51:12 +05'30'